न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/312

1. सुरेन्द्र कुमार आत्मज घनश्याम मेहर निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा कोटा ।
2. जितेन्द्र कुमार आत्मज घनश्याम मेहर निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा कोटा ।
3. घनश्याम आत्मज औंकार जाति मेहर निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राज0 जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा ।
2. कमला बाई पुत्री स्व0 भंवर लाल जाति मेहर निवासी हाल निवासी कापरेन तहसील केo पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मुकुट बिहारी पारेता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 08.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 1426 की 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 1427 की 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1428 की रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1429 की 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 1430 की 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1431 की रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1439 की 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 1446 की 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 1338/2017 की 0.15 हैक्टर कुल 09 किता रकबा 1.45 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि भंवर लाल आत्मज औंकार लाल जी जाति मेहर के गैर खातेदारी में दर्ज थी । भंवर लाल की शादी के लगभग 04 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी का देहान्त हो गया । भंवरलाल की शादीशुदा पत्नी से कोई औलाद नहीं हुई । भंवर लाल अपने भाई प्रार्थी कम 3 घनश्याम के साथ रहे । भंवर लाल

की सम्पूर्ण भूमि खातेदारी व गैर खातेदारी की प्रार्थी क्रम 03 के कब्जे काश्त में रही । भंवर लाल ने एक वसीयत दिनांक 19.05.2011 को प्रार्थी क्रम 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित की । प्रार्थी क्रम 1 व 2 वसीयत के दिनांक से ही उक्त भूमि के खातेदार कृषक हो गये हैं । प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करने के लिए प्रतिवादी व तहसीलदार से निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने वसीयत पंजीकृत नहीं होने से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर आदेश लाने के लिए कहा । वादग्रस्त आराजी का इंतकाल किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं खोले इस हेतु अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला दावा वादग्रस्त आराजी का इंतकाल प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी के पक्ष में तस्दीक नहीं करे । ऐसा कृत्य न स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.09.2013 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2013 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर काबिज है । भंवर लाल के जीवनकाल से तथा भंवर लाल की मृत्यु के बाद से आज तक उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । स्व0 भंवर लाल ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट क्रम 1 व 2 के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 19.05.2011 को आलेखित कर रूबरू गवाहन नन्दलाल व महेन्द्र जैन की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किये । भंवर लाल का दिनांक 16.12.2011 को स्वर्गवास हो चुका है। इस कारण प्रार्थीगण अपीलान्ट क्रम 1 व 2 वसीयत दिनांक 16.05.2011 से उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये हैं । अपीलान्ट क्रम 1 व 2 वसीयत के अलावा भी भंवर लाल के लाऔलाद फौत हो जाने से और घनश्याम अपीलान्ट क्रम 3 अकेला भाई होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 में वर्णित अनुसूची नं0 02 के अनुसार भंवर लाल द्वारा छोडी गई भूमि का अकेला भाई व वारिस होने से भंवर लाल के वारिस के रूप में मृतक भंवर लाल द्वारा छोडी गई भूमि का एक मात्र खातेदार कृषक है । अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहरा और निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद घोषणा का

किया । प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के ताऊ व प्रार्थी क्रम 3 के भाई भंवर लाल को वादग्रस्त आराजी आवंटित हुई थी जो उनकी गैर खातेदारी में दर्ज थी । खातेदार भंवर लाल का देहान्त हो चुका है और उनकी पत्नी का भी देहान्त हो चुका है । भंवर लाल अपीलान्टगण के साथ ही रह रहे थे और उनकी आराजी उनके जीवनकाल में ही अपीलान्टगण के कब्जे काश्त में रही है । अपीलान्टगण ने ही उनकी सेवा की है । भंवर लाल ने एक वसीयत दिनांक 19.05.2011 को अपीलान्ट क्रम 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित की है । वसीयत के आधार पर अपीलान्ट क्रम 1 व 2 इस आराजी के खातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्टगण का है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्टगण के पक्ष में बनता है फिर भी त्रुटिपूर्ण रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी भंवर लाल के गैर खातेदारी में दर्ज थी जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती । वसीयत कूट रचित है । रेस्पोडेन्ट भंवर लाल की प्राकृतिक पुत्री है और आराजी पर उसका कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2013 बहाल रखा जावे।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 पेश की है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मृतक भंवर लाल वल्द औंकार के गैर खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है जिसके अनुसार दिनांक 16.12.2011 को भंवर लाल की मृत्यु हो चुकी है । एक वसीयत की फोटो प्रति पेश की है जो नोटेरी द्वारा तस्दीक की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत पेश किया गया है और कथन किया है कि प्रार्थिया मृतक भंवर लाल की पुत्री है जिसे पक्षकार बनाया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 12.06.2013 को स्वीकार किया है ।

10. रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र दोनों को ही खारिज किया गया है और अपील प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा पेश की गई है । अपीलान्ट प्रार्थीगण वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा चाहते हैं और उस दावे के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । वादग्रस्त आराजी भंवर लाल के गैर खातेदारी में दर्ज है और विधिक प्रावधानों के अनुसार गैर खातेदार को वसीयत निष्पादित करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट प्रार्थीगण के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं । प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रकरण तय नहीं पाया जाता है इस आधार पर उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2013 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा